अध्याय-20

निबन्ध-लेखन

निबन्ध एक ऐसी गद्य-रचना है जिसमें किसी विषय का वर्णन किया जाता है तथा यह वर्णन सरल, स्पष्ट तथा अपने शब्दों में किया गया हो। निबन्ध संस्कृत की मूल धातु 'बंध' में 'नि' उपसर्ग के लगने से बना है। नि + बंध का अर्थ है-संग्रह करना, बाँधना अथवा एक ही स्थान पर रोकना। निबंध में किसी विषय विशेष पर विचारों का संग्रह तथा उनकी उदाहरण सहित पुष्टि एक ही स्थान पर की जाती है। निबन्ध लेखन में लेखक किसी भी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक, साहित्यिक अथवा धार्मिक विषय पर अपने मस्तिष्क में छिपे गम्भीर विचारों को स्वतन्त्रतापूर्वक अभिव्यक्त करता है।

गद्य कवियों की कसौटी है तो निबन्ध गद्य की गम्भीर कसौटी होता है। मूलतः निबन्ध दो प्रकार के होते हैं-(1) विषय प्रधान (2) व्यक्ति प्रधान।

कुछ निबन्ध निम्नानुसार हैं-

1. भारतीय संस्कृति के मूल तत्त्व

हमारा देश प्राचीनतम देश है और हमारी संस्कृति भी अत्यन्त प्राचीन है। जहाँ प्राचीन संस्कृति होती है वहाँ जीवन के कुछ मानवीय मूल्य होते हैं, कुछ जाँचे-परखे मूल्य होते हैं जिन्हें एकाएक बदला नहीं जा सकता। हमारा आज का समय कठिनाइयों से भरा है तथा हमारे सामने अनेक चुनौतियाँ हैं किन्तु इन सबके बावजूद हमारी भारतीय संस्कृति के कुछ आधारभूत तत्त्व ऐसे हैं जिनसे यह देश महान परम्पराओं का देश कहलाता है। आज जब चारों तरफ हिंसा-प्रतिहिंसा तथा द्वेष का वातावरण है, ऐसे में 'अहिंसा' भारतीय संस्कृति को दुनिया के सामने विशिष्ट रूप में प्रस्तुत करती है। महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, महात्मा गाँधी तथा अन्य परवर्ती चिन्तकों ने देश और दुनिया में अहिंसा का प्रसार किया।

यद्यपि संस्कृति की कोई एक परिभाषा सम्भव नहीं है क्योंकि संस्कृति भी विकास के विभिन्न रूपों का समन्वयकारी दृष्टिकोण ही है। जैसे किसी एक व्यक्ति विशेष को जानने के लिए उसके रूप, रंग, आकार, बोलचाल, विचार, खान-पान, आचरण आदि को जानना जरूरी होता है वैसे ही किसी जाति की, देश की संस्कृति को जानने के लिए उसके विकास की सभी दिशाओं को जानना आवश्यक है। किसी मनुष्य-समूह अथवा देश की संस्कृति को जानने के लिए उसके साहित्य, कला, दर्शन के साथ उसके प्रत्येक व्यक्ति का साधारण शिष्टाचार भी जानना आवश्यक है। हमारे देश में 'अतिथि देवो भवः' की संस्कृति है जिसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा है कि-'अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता

एक सहारा' अर्थात भारत में आने वाले हर दूसरे देश के निवासी का पूरा सम्मान किया जाता रहा है। 'वसुधैव कुटुम्बकम' तथा 'विश्व बन्धुत्व' का भाव हमारी संस्कृति के मूल तत्त्व हैं। हम घर परिवार में भी अतिथि-सत्कार को विशेष महत्त्व देते हैं। संस्कृतियों का निर्माण किसी भी देश में उपलब्ध उसके भौतिक साधन, जैसे-नदी, वन, पहाड़, मिट्टी, कृषि, जलवायु, पशुपालन तथा पेड़-पौधों की उपलब्धि पर भी निर्भर करता है क्योंकि संस्कृति का खान-पान, आचरण तथा व्यवहार से गहरा संबंध है। संस्कृति एक ऐसी बहती नदी के समान होती है जिसमें आने वाला हर नया व्यक्ति अपने को निर्मल करता है तथा नदी स्वयं भी अपने बहाव के साथ अपने में एकत्रित हुई गन्दगी रूपी कमियों को बहाकर साफ कर देती है।

दुनिया की बहुत-सी संस्कृतियाँ इसलिए लुप्त हो गईं क्योंकि उनके मूल तत्वों में कुछ दोष समा गए किन्तु भारत की संस्कृति के आधारभूत तत्वों में उसकी विविधता तथा विविधता में एकता सबसे महत्वपूर्ण है। भारतीय संस्कृति का प्राचीनतम स्वरूप आज भी विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। अनेक पंथों और मतों के अनुयायी होने के बाद भी भक्तिकाल के अनेक सन्तों और भक्तों ने अपनी भक्ति की विभिन्न धाराओं के माध्यम से राष्ट्रीय समन्वय की स्थापना की थी। ज्ञान और कर्म के दो भिन्न-भिन्न क्षेत्र भी जीवन की साधना के ही 'दो मार्ग लेकिन मंजिल एक' दिखाई देते हैं। 'अहिंसा' हमारे सभी धार्मिक और वैष्णव मतों का आधार रहा है किन्तु यह अहिंसा हमारी दुर्बलता कभी नहीं रही है।

'करुणा' भी भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों में से एक है। हम एक-दूसरे के सुख-दुख में सहयोग और सद्भाव रखते रहे हैं। स्त्री का सम्मान, संकट के समय साहस न खोना, उदारता तथा अनेक विचारों के आदान-प्रदान के साथ हमारी समन्वयात्मक दृष्टि आदि ऐसे तत्त्व हैं जिन्हें हम अपने दैनिक व्यवहार में अपनाते हैं। हमारी संस्कृति में देश की सीमाओं को केवल भू-भाग नहीं माना बल्कि अपनी माता से भी बढ़कर माना गया है-'माता भूमि: पुत्रोहं पृथिव्या:' अर्थात् भूमि माता है तथा मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। हमारे वेद, पुराण, शास्त्र, धर्मग्रन्थ भी संस्कृति के तत्वों के पोषक और प्रसारक रहे हैं जिनमें जीवन की चेतना के विभिन्न स्रोत समाहित हैं। हमारे साहित्य में भारतीय जीवन-दर्शन के तत्त्व समाहित हैं।

अत: निष्कर्षत: हम कह सकते हैं कि माता-पिता, गुरु, अतिथि आदि का सम्मान, दुखी व्यक्ति के प्रति करुणा का भाव, अहिंसा, प्रकृति की रक्षा, समन्वयकारी दृष्टि तथा विविधता में एकता आदि भारतीय संस्कृति के मूल तत्व हैं।

2. आतंकवाद : एक समस्या

आतंकवाद एक ऐसी समस्या है जिसका भारत में हम पिछले कई दशकों से सामना कर रहे हैं। आज आतंकवाद को ऐसी समस्या माना जाता है जो न केवल राष्ट्रीय किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को भी अस्थिर कर सकती है। जिन कारकों ने आतंकवाद को कट्टरपंथियों द्वारा अवांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण साधन बनाया, वे हैं-उद्देश्य में दृढ़ विश्वास, कट्टरता, अपने सरगनाओं के प्रति निष्ठा, हिंसात्मक आदर्शवाद आत्म बलिदान की इच्छा तथा विदेशों से मिलती वित्तीय सहायता आदि।

आतंकवाद एक हिंसक व्यवहार है जो समाज या उसके बड़े भाग में राजनैतिक उद्देश्यों से भय

पैदा करने के इरादे से किया जाता है। आतंकवाद का राजनैतिक उद्देश्य होता है। यह राज्य या समाज के विरुद्ध होता है। यह अवैध और गैरकानूनी होता है। यह न केवल निशाना बनाए जाने वाले व्यक्ति को अपितु सामान्य व्यक्तियों को डराने और उनमें भय एवं आतंक उत्पन्न करने की चेष्टा से फैलाया जाता है। यह जनसाधारण में बेबसी और लाचारी की भावना पैदा करता है।

उद्देश्य—आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य अपनी विचारधारा का प्रसार करना है। इस प्रक्रिया में यह विचार जनसमर्थन प्राप्त करना चाहता है। वह शासन की सैन्य शक्ति व मनोवैज्ञानिक शक्ति को विघटित करना चाहता है। आतंकवाद किसी भी देश/क्षेत्र की आंतरिक स्थिरता को तोड़ना और उसके सतत् विकास को रोकना चाहता है। वह अपने विचार रूपी आन्दोलन को बढ़ाना चाहता है। इस आन्दोलन की रुकावट चाहे वह व्यक्ति हो या संस्था उसे हटाने की कोशिश करता है। यह शासन को प्रतिक्रिया दिखाने के लिए उकसाता है।

'अहिंसा परमो धर्मः' तथा 'वसुधैव कुटुम्बकम' जैसे महामानवता के सिद्धान्त वाले हमारे देश भारत में पिछले अनेक वर्षों से साम्प्रदायिक हिंसा तथा आतंकवाद की विकराल समस्या बनी हुई है। बंगाल में नक्सलियों द्वारा की गई हिंसा तथा आगे जाकर पंजाब में खालिस्तान बनाने की माँग के चलते असंख्य बेगुनाहों का रक्तपात हुआ। आज देश में जम्मू कश्मीर, असम, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, त्रिपुरा तथा उत्तर भारत के अनेक शहर आतंकवादियों के निशाने पर रहते हैं। बीते वर्षों में हमारी संसद पर किया गया आतंकवादी हमला एक प्रकार से हमारे संविधान तथा हमारे स्वाभिमान पर ही किया गया हमला था। यदि समय रहते हमारे जवानों ने उन आतंकवादियों पर काबू नहीं पाया होता तो हम कल्पना कर सकते हैं कि उसके कितने भयानक दुष्परिणाम हो सकते थे।

यह सच है कि बेकारी तथा बेरोजगारी के कारण परेशान युवाओं को धन का लालच देकर तथा धर्म के नाम पर उकसाने तथा उनको आतंकवादी बनाने का काम धार्मिक कट्टरपंथी संस्थाएँ करती रहती हैं। ये संस्थाएँ अपने द्वारा प्रशिक्षित आतंकवादियों के माध्यम से देश में अस्थिरता का वातावरण बनाते रहते हैं। मुम्बई, दिल्ली, जयपुर तथा अहमदाबाद में आतंकवादियों द्वारा 'सीरियल ब्लास्ट' तथा 'साइकिल बम ब्लास्ट' जैसी घटनाओं ने देश को झकझोर कर रख दिया, इसलिए आज आतंकवादियों के खिलाफ कठोरता के साथ पेश आने की आवश्यकता है।

आतंकवाद को नियंत्रित करने के उपाय—राष्ट्रीय समस्याओं पर आम सहमति तैयार की जानी चाहिए, न्याय व्यवस्था से संबंधी महत्वपूर्ण सुधार करना, शासक तथा जनता में संवाद को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, पुलिस तथा सुरक्षा बलों को अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया जाना चाहिए तथा शिक्षा एवं रोजगार की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए।

आतंकवाद जब अपने आत्मघाती हथियारों तथा बमों से लोगों के घर उजाड़ते हैं तब यही कहने को मन करता है कि–

''लोग सारी उम्र लगा देते हैं एक घर बनाने में।
उनको शर्म नहीं आती बस्तियाँ जलाने में।।''

3. भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था

वर्तमान समय में भारत एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यह 1947 ई. में स्वतंत्र हुआ। उस समय भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन के नेता व प्रबुद्धजन भारत की नई शासन व्यवस्था के बारे में चिंतित थे। उन्होंने कई वर्षों के अथक प्रयासों से पूरे विश्व से शासन व सुशासन प्रक्रिया के विचार लेकर उन्हें एक जगह संग्रहीत किया। इन विचारों व शासन की कार्यविधि को बताने वाले दस्तावेज को ही संविधान कहा गया। लगभग सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था रखने वाले देशों का अपना संविधान होता है। भारतीय संविधान में लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता भारतीय जनता के राष्ट्रीय लक्ष्य माने गये हैं। हमारे देश के संविधान ने यहाँ लोकतांत्रिक पद्धति की स्थापना की है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अन्तर्गत मनमाने ढंग से निर्णय लिये जाने की संभावना नहीं होती है। यह लोकतांत्रिक शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत में प्रत्येक नागरिक को 6 मौलिक अधिकार दिये गये हैं। हर वयस्क नागरिक को मतदान करने तथा चुनाव लड़ने का अधिकार है।

लोकतान्त्रिक व्यवस्था में शक्ति एक अंग तक सीमित नहीं होती है। यहाँ शक्ति विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विकेन्द्रित कर दी जाती है। भारत की कार्यपालिका एवं विधायिका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय वयस्क जनता द्वारा ही चुनी जाती है। लोकतंत्र में राष्ट्रीय स्तर पर कुछ राजनीतिक पार्टियाँ होती हैं जो अपने उम्मीदवार चुनाव में उतारती हैं। इन पार्टियों में से जिस भी पार्टी को बहुमत मिलता है वह अपनी सरकार बनाती है। अगर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिले तो 2 या अधिक पार्टियाँ मिलकर सरकार बनाती हैं जिसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। इस प्रकार लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। एक लोकतांत्रिक देश में इतने अधिक लोग रहते हैं कि हर बात के लिए सबको एक साथ बैठाकर सामूहिक फैसला नहीं किया जा सकता। इसलिए एक निश्चित क्षेत्र से जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है। भारत में लोकतंत्र सभी नागरिकों की समानता की वकालत करता है। यह व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है।

लोकतंत्र में नागरिकों को सरकार के क्रिया-कलापों पर विचार-विमर्श करने और उसकी त्रुटियों की आलोचना करने का अधिकार है। भारत में जनता को सूचना का अधिकार (RTI) दिया गया है। सूचना का अधिनियम, 2005, हमारी संसद द्वारा पारित एक ऐतिहासिक कानून है। इसके द्वारा सामान्य नागरिक सरकारी कार्यालयों से उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। इस तरह भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था में उत्तरोत्तर सुधार किया जा रहा है।

4. महिला सशक्तीकरण का वर्तमान स्वरूप

हमारी सामाजिक-सांस्कृतिक विरासत में महिलाओं का अति प्राचीनकाल से ही सम्मानजनक स्थान रहा है। वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा व सामाजिक क्षेत्रों में पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त थे। लेकिन उत्तरवैदिक काल आते-आते पर्दा-प्रथा, अशिक्षा तथा अन्य कुरीतियाँ फैलती गई और नारी सिर्फ घर की चारदीवारी में कैद होने लगी तथा पुरुष की निजी स्वामित्व वाली वस्तु मानी जाने लगी। सामाजिक अंधविश्वास, पाखंड, अशिक्षा तथा पितृ प्रधान समाज में महिलाओं की स्थिति बद से बदतर होती गई।

आधुनिक काल में शिक्षा के प्रसार, समाज सुधारकों के प्रयासों से महिलाओं के सम्मान तथा अधिकारों के लिए आवाज उठने लगी तथा महिला सशक्तीकरण जोर पकड़ने लगा। महिला सशक्तीकरण के लिए महिलाओं की सकारात्मक सहभागिता अत्यावश्यक है। महिलाओं के प्रति समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाकर पुराने रूढ़ सामाजिक मूल्यों के रूपान्तरण की आवश्यकता है।

सशक्तीकरण से तात्पर्य ऐसा वातावरण सृजित करने से है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करते हुए अपने जीवन व कार्यों के लिए स्वयं निर्णय ले सके। वर्तमान में नारी विकास के लिए हमारे संविधान में मूल अधिकारों व नीति-निर्देशक तत्वों में भी कई प्रावधान हैं जिनमें स्त्री को पुरुष के समान अधिकार दिये गये हैं। 2005 में हिन्दू उत्तराधिकार कानून में संशोधन से बेटियों को भी बेटों के बराबर अधिकार प्रदान किये गये हैं।

राजनीतिक क्षेत्र में भी महिलाओं ने पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर अपनी पहचान बनाई है। देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति व राज्यों के मुख्यमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष आदि पदों पर महिलाएँ अपना स्थान बना रही हैं। सामाजिक क्षेत्र मे भी महिलाएँ आगे रही हैं जिनमें रमाबाई पंडित ने स्त्री शिक्षा पर कार्य किया तो मदर टेरेसा ने सर्वधर्म समभाव से सभी गरीबों के लिए मुफ्त में सेवा कार्य किया। आर्थिक क्षेत्र में पुरुषों के बराबर व्यापार में हाथ आजमा रही हैं व सफल भी हो रही हैं इनमें चंदा कोचर इंदिरा नूई आदि महिलाओं के नाम आते हैं। साहित्यिक क्षेत्र में मानवीय संवेदना को गहराई तक महसूस कर लिखने में महादेवी वर्मा, सरोजिनी नायडू जैसी महिला लेखिकाएँ मुख्य हैं। खेल के क्षेत्र में भी सानिया मिर्जा, साईना नेहवाल, अपूर्वी चंदेल जैसी खिलाड़ियों ने उल्लेखनीय कार्य किया है।

सरकार द्वारा भी महिला सशक्तीकरण के लिए 8 मार्च, 2010 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय मिशन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल द्वारा शुरू किया गया। राज्य सरकारों ने भी महिला सशक्तीकरण के लिए कई योजनाएँ शुरु की जैसे स्वास्थ्य सखी योजना, कामधेनु योजना, स्वावलंबन योजना, स्वशक्ति योजना आदि। वर्तमान समय में महिलाओं के सशक्तीकरण के बारे में स्वयं महिला भी जागरूक हो गयी हैं। यह शिक्षा के प्रसार का प्रभाव है।

5. पर्यावरण प्रदूषण : समस्या और समाधान

वर्तमान समय में हमारा पर्यावरण प्रदूषण की विकराल समस्या से जूझ रहा है। ज्यों-ज्यों मानव प्रोद्यौगिकी का विकास कर रहा है यह समस्या उतनी ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। वास्तव में प्रदूषण है

क्या? इसके बारे में कहा जा सकता है कि वे तत्त्व जो अपनी अधिकता से वायु, जल, भूमि के भौतिक, रासायनिक अथवा जैव परिलक्षणों में अनपेक्षित परिवर्तन करते हैं वे प्रदूषण कहलाते हैं और अनपेक्षित परिवर्तन ही प्रदूषण है। यह प्रदूषण, प्रदूषकों के अत्यधिक जमाव के कारण होता है। ये परिवर्तन हमारे संसाधनों की कच्ची सामग्री तथा पर्यावरण को बर्बाद कर रहे हैं या उनका ह्रास कर रहे हैं। प्रदूषण का, जैविक प्रजातियों सहित मानव पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यह हमारी औद्योगिक विधियों, रहन-सहन एवं सांस्कृतिक पूँजी को नुकसान पहुँचाता है। मनुष्य की क्रियाओं द्वारा वायुमंडल में कई परिवर्तन होते हैं।

आज विज्ञान की प्रगति के साथ-साथ हमारे जीवन में वस्तु के उपयोग की अधिकता व्यापक रूप से बढ़ी है। कल-कारखानों से निकलने वाला धुआँ, वनों की अन्धाधुन्ध कटाई, विषैली गैसों तथा रेड़ियोधर्मी किरणों से वायुमण्डल प्रदूषित हो गया है। मनुष्य ने अपने जीवन को सुन्दर बनाने के लिए पहाड़ों, वनों तथानदी-तालाबों का अन्धाधुन्ध दोहन किया है जिससे हमारे आसपास की वायु, जल आदि प्रदूषित हो गए हैं जिससे जीवन की कठिनाइयाँ बढ़ गई हैं। आज मनुष्य ही नहीं बल्कि इस प्रदूषित जल, वायु तथा वातावरण का दुष्प्रभाव प्राणिमात्र (जिसमें पशु-पक्षी भी शामिल हैं) पर भी पड़ रहा है।

मुख्यत: प्रदूषण का प्रभाव प्रकृति के जिन तत्त्वों पर पड़ता है, वे हैं-जल, वायु तथा ध्वनि। इन्हीं के आधार पर प्रदूषण को जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण आदि क्षेत्रों में बाँटा जा सकता है।

उद्योगों से निकलने वाले गन्दे अपशिष्ट तथा विषैले कचरे को शहरों-कस्बों के पास बहने वाली नदियों में बहाना सबसे ज्यादा घातक है, जिससे पीने के शुद्ध पानी के प्राकृतिक स्रोत प्रदूषित हो गए हैं। वनों की की जा रही अन्धाधुन्ध कटाई के कारण हमारा वर्षा-चक्र प्रभावित हो गया है तथा वर्षा की कमी के कारण भूगर्भ के जल-स्तर में तेजी से गिरावट हो गई है। जो पानी नलकूपों आदि से 400-500 फुट की गहराई से लिया जा रहा है वह न मनुष्यों के लिए उपयोगी रहा और ना ही कृषि के लिए। फ्लोराइड की बढ़ती मात्रा ने पानी को और अधिक प्रदूषित कर दिया है।

वायु मंडल में ध्वनि-तरंगों का अधिक शोर, शादी-विवाह आदि कार्यक्रमों में बजने वाले लाउडस्पीकरों, भोंपुओं, कारखानों तथा बड़ी मशीनों से निकलने वाली ध्वनि तरंगें मनुष्य में चिड़चिड़ापन, बहरापन तथा स्वभाव में उत्तेजना पनपाने का काम कर रही हैं। जिससे लोगों में रक्तचाप, मधुमेह, मानसिक तनाव जैसी बीमारियाँ बढ़ रही हैं।

इसलिए पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से बचने लिए पहला कार्य तो हमें यह करना चाहिए कि हम इस समस्या को ठीक से पहचानें। साथ ही प्रदूषण के मुख्य कारकों व कारणों को चिह्नित करें जिससे उनका सीधा समाधान निकाल सकें। वनों की कटाई को रोकने के साथ ही आस-पास नये पेड़-पौधे लगाकर तथा हरियाली को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना सकते हैं। कल-कारखानों के अपशिष्ट तथा कचरे का अन्यत्र प्रबन्ध किया जाना चाहिए जिससे नदियों का जल प्रदूषित न हो।

6. शिक्षा का उद्देश्य

'सा विद्या या विमुक्तये' अर्थात विद्या अथवा शिक्षा वही है जो हमें मुक्ति दिलाती है। यह मुक्ति अज्ञान से, अंधकार से तथा अकर्मण्यता से है। बालक जन्म से लेकर जीवन पर्यन्त कुछ न कुछ सीखता

रहता है किन्तु औपचारिक शिक्षा प्राप्ति का उद्देश्य उसके सामने स्पष्ट होना आवश्यक है। आज हमारी शिक्षा-नीति केवल जीवन निर्वाह की शिक्षा-व्यवस्था ही दे रही है जबकि होना यह चाहिए कि शिक्षा जीवन-निर्वाह की अपेक्षा जीवन-निर्माण का उद्देश्य पूर्ण करे। शिक्षा किसी भी राष्ट्र का मेरूदण्ड कही जा सकती है जो संस्कारवान, स्वस्थ, श्रमनिष्ठ, संस्कृतनिष्ठ, साहसी तथा कुशल नागरिकों का निर्माण कर सके। इसलिए शिक्षा एक तरफ व्यक्ति-निर्माण का कार्य करती है तो दूसरी ओर राष्ट्र-निर्माण का भी अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करती है।

यदि किसी राष्ट्र का समुचित विकास तथा उसके नागरिकों का सही व्यक्तित्व निर्माण करना है तो उसकी शिक्षा का सोद्देश्य होना अनिवार्य है। शिक्षा वस्तुतः कोई पाठ्यक्रम या डिग्री प्राप्त करना भर नहीं है बल्कि जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो कुछ न कुछ सिखाती रहती है। शिक्षा से ही व्यक्ति और राष्ट्र का चरित्र निर्माण होता है। यदि किसी देश की शिक्षा अच्छी होगी तो उसके नागरिकों का चरित्र भी अच्छा होगा। गाँधीजी भी शिक्षा को चरित्र निर्माण के लिए अनिवार्य मानते थे। वे कहते थे- शिक्षा का सही उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए।

आज शिक्षा के स्वरूप व शिक्षा प्रणाली में आई गिरावट के कारण ही अपने संचित ज्ञान तथा देश की महान परम्पराओं के प्रति उपेक्षा का भाव, माता-पिता व गुरुजनों के प्रति आदर के भाव में कमी, विलासिता व सुविधाओं की ओर बढ़ता आकर्षण, प्रदर्शनप्रियता व उपभोक्तावाद आदि का प्रभाव जीवन में बढ़ रहा है। सत्य, अहिंसा, करुणा, अपरिग्रह, सहिष्णुता, ईमानदारी तथा उदारता जैसे महान मानवीय मूल्य जीवन से लुप्त हो रहे हैं। मूलतः शिक्षा वह नहीं है जो हमने सीखी है बल्कि शिक्षा वह है जो हमें योग्य बनाती है। 'नास्ति विद्या समं चक्षु' अर्थात् विद्या के समान दूसरा नेत्र नहीं है। शिक्षा ही वह नेत्र है जो जीवन-संघर्ष को जीतना सिखाती है।

7. ''स्वतन्त्र भारत में राष्ट्रीयता बोध''

भारत की सभ्यता और संस्कृति अतीव प्राचीन हैं। भारत प्राचीन काल से अखण्ड भारतवर्ष के नाम से जाना जाता रहा है। जिसकी सीमाएँ सुदूर पूर्व से लेकर पश्चिम की अरब की खाड़ी तक जाती थी। राजनीतिक कारणों से तथा विदेशी आक्रमणों के चलते, विशेष रूप से भारत विभाजन की बड़ी घटना के बाद हमारे देश में राष्ट्रीयता बोध में कई प्रकार के बदलाव देखे और महसूस किये हैं। भारत पर किये गये मुगलों के आक्रमणों द्वारा भारत की सभ्यता और संस्कृति पर गहरी चोट की गई जिससे भारतीय समाज में एक प्रकार की निराशा व्याप्त हो गयी थी। उस काल में भक्तिकालीन संतों, कवियों ने भारतीय समाज में एकीकरण की अलख जगाई। लेकिन ईस्ट इण्डिया कंपनी के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी के कारण हमारे देश की जनता स्वयं को और भी अधिक आहत महसूस करने लगी। जिसके परिणामस्वरूप समूचे भारत देश में **आजादी का आन्दोलन** फैल गया और प्रत्येक नागरिक देश को आजाद कराने के लिए एक समान **राष्ट्रीयता बोध** में रम गया। गुलामी में हारी हुई मानसिकता आन्दोलन की क्रांति में एक नजर आने लगी। परिणामस्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ तथा एक राष्ट्र और उसके राष्ट्रीय प्रतीकों के आजाद होने का सपना साकार हुआ।

जिस भूमि पर हम जन्म लेते हैं, पलते, बड़े होते हैं–वह हमारी जन्मभूमि, कर्मभूमि तथा हमारा राष्ट्र होती है। उसके प्रति गहरा प्रेम ही राष्ट्र–बोध की भावना या राष्ट्रीयता की भावना होती है। हम सदैव उसके गौरव की रक्षा करें तथा साथ ही उसकी संस्कृति, उसके प्राकृतिक संसाधनों तथा उसकी आर्थिक समृद्धि में योगदान करने का दायित्व प्रत्येक नागरिक का है। यह भी आवश्यक है कि हम ऐसी किसी प्रकार की धार्मिक, राजनीतिक या उच्छृंखल प्रवृत्ति अथवा धारणा से बचें जिससे राष्ट्रीय एकता में बाधा पहुँचती हो।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश की जनता के समक्ष आजादी की लड़ाई जैसा कोई महान लक्ष्य न होने के कारण समाज पुनः राष्ट्रबोध की कमी महसूस करने लगा है। आज नागरिकों के मन में राष्ट्र की सम्पत्ति, राष्ट्र के विकास, स्वच्छता, समर्पण जैसे राष्ट्रीय भावों में कमी आई है। जापान का उदाहरण हमारे सामने है जिन्होंने हिरोशिमा व नागासाकी जैसे परमाणु परीक्षण में उजाड़े हुए शहरों का परिश्रम से पुनर्निर्माण किया है इसलिए आज भारत के प्रत्येक नागरिक को वहाँ के प्रत्येक संसाधन को अपने देश का, अपना मानना चाहिए तथा अपने छोटे–छोटे स्वार्थों से ऊपर राष्ट्र को मानना चाहिए तथा अपने सारे कार्य पूरी राष्ट्र निष्ठा से करने चाहिए जिससे देश दुनिया के सामने मजबूती से स्थापित हो सके।

जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है।
वह नर नहीं, पशु है निरा और मृतक समान है।।

8. ''विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व''

अनुशासन का जीवन में गहरा महत्व है। अनुशासन ही वह कुंजी है जिससे हम जीवन का विकास कर पाते हैं तथा सफलता के अनेक चरण छूते हैं। यदि हम देखें तो समूची **प्रकृति भी एक अनुशासन** में बंधी हुई है। सूर्य का नित्यप्रति एक ही दिशा मे उगना तथा उसी तरह अस्त होना अनुशासन के ही प्रमाण हैं। चन्द्रमा, तारे, बादल, बिजली, सबका अपना अनुशासन है। इनमें भी जब किसी का अनुशासन भंग होता है तब कुछ अप्रतीक्षित तथा विध्वंसकारी घटनाएँ घटित होती हैं। एक क्रम से ही वस्तुओं का आना–जाना होता है। समुद्र में ज्वार–भाटा आने पर भी समुद्र मर्यादित रहता है। एक निश्चित गति से पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना या अनेक उपग्रहों का अपनी गति से गतिमान रहना उनके अनुशासन का ही परिचायक है। ठीक इसी प्रकार विद्यार्थी के जीवन में भी अनुशासन का अत्यधिक महत्व है। कहा गया है कि–

काक चेष्टा बको ध्यानम् श्वान निद्रा तथैव च। अल्पाहारी ब्रह्मचारी विद्यार्थी पंच लक्षणम्।

विद्यार्थी के ये पाँचों गुण उसके अनुशासन की ही विभिन्न सीढ़ियाँ हैं। विद्यार्थी जीवन व्यक्ति के सघन साधना का काल है। जिसमें वह स्वयं का शारीरिक, मानसिक तथा रचनात्मक निर्माण करता है।

अनुशासन **दो प्रकार का होता है–**पहला–आत्मानुशासन, दूसरा–बाह्यानुशासन। आत्मानुशासन का अर्थ है आत्मा के द्वारा अनुशासन अर्थात् इसमें किसी अन्य व्यक्ति का बाध्यकारी दबाव नहीं होता तथा विद्यार्थी

अपने जीवन को स्वप्रेरणा से अनुशासित करता है। इसमें समय पर उठना अपनी दिनचर्या के आवश्यक कार्यों का निष्पादन कर अध्ययन के प्रति जागरूक रहना तथा स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना आदि शामिल हैं।

हम जानते हैं कि–''स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अत: आत्मानुशासन की प्रेरणा विद्यार्थी के जीवन निर्माण की पहली सीढ़ी है।'' दूसरी ओर बाह्यानुशासन स्वयं के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति के दबाव होने तथा उसके अधिकारों के कारण माना जाने वाला अनुशासन है। अनुशासन का शाब्दिक अर्थ ही अनु + शासन है। अनु का अर्थ है अनुरूप या अनुसार तथा शासन का अर्थ है शासित होना या परिचालित होना। इसका आशय यह हुआ कि विद्यार्थी बहुत से कार्यों में स्वयं के द्वारा परिचालित होता है तथा बहुत से दूसरे कार्यों में शिक्षक, माता-पिता अथवा विद्यालय द्वारा परिचालित होता है। चूँकि विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने की अवस्था में बालक का निर्माण सीखने की प्रक्रिया में होता है। इसलिए इस अवस्था में जो वह सीखता है वे उसके जीवन के स्थाई मूल्य बन जाते हैं। संसार में अनेक महापुरुषों ने अनुशासित रहकर ही समूचे विश्व का मार्गदर्शन किया है।

९. ''साहित्य हमें संस्कारवान बनाता है''

किसी राष्ट्र या समाज के सांस्कृतिक स्तर का अनुमान उसके साहित्य के स्तर से लगाया जा सकता है। साहित्य समाज का न केवल दर्पण होता है बल्कि वह दीपक भी होता है। जो समाज का उसकी बुराइयों की ओर ध्यान दिलाता है तथा एक आदर्श समाज का रूप प्रस्तुत करता है। विद्वानों ने किसी देश को बिना साहित्य के मृतक के समान माना है। कहा गया है–

अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है
मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है।

यह माना जाता है कि किसी देश की सभ्यता तथा संस्कृति के इतिहास को पढ़ने के लिए उसके साहित्य को ही पढ़ना पर्याप्त होता है। इसीलिए साहित्य किसी देश, समाज तथा उसकी सभ्यता या संस्कृति का दर्पण होता है। भारतीय साहित्य की महान परम्पराओं के कारण ही इस देश का गौरव विश्व के मानचित्र पर अक्षुण्ण बना रहा है। जिससे साहित्यकारों ने अपनी लेखनी से विश्व समाज का सदैव मार्गदर्शन किया है। कालिदास, पाणिनी याज्ञवल्क्य, तुलसी, कबीर, सूर, मीरा आदि प्राचीन तथा मध्यकालीन कवियों के द्वारा फैलाए गए प्रकाश से भारतीय समाज सदैव आलोकित होता रहा है। साहित्य ही वह क्षेत्र है जो मनुष्य को व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि, पद लोलुपता, अज्ञानता तथा अराजकता, कपट तथा धूर्तता जैसे दुर्गुणों से दूर कर परमार्थ, समाज सेवा, करुणा, मानवीयता, सदाचरण तथा विश्व-बंधुत्व जैसे उदात्त मानवीय मूल्यों का अनुसरण करना सिखाता है। संस्कारवान व्यक्ति वही है जो हृदय से उदार हो, निष्कपट व्यवहार करने वाला हो तथा अपने लिए किसी प्रकार के लोभ लालच की अपेक्षा न करता हो।

साहित्य सदैव ऐसे ही महान मानवीय मूल्यों की रचना करता है जो प्राणिमात्र के सुखद जीवन की कल्पना करते हों। तुलसी ने अपनी प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस में ऐसी अनेक सूक्ति परक चौपाइयों की रचना की है जो व्यक्ति तथा समाज को सीधे-सीधे निर्देश करती हैं, जैसे-का वर्षा जब कृषि सुखाने,

कर्म प्रधान विश्व करि राखा आदि। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, मुंशी प्रेमचन्द, निराला, मुक्तिबोध जैसे अनेक साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतीय समाज में सदाचार के संस्कार, श्रम साधना के संस्कार, राष्ट्रभक्ति के संस्कार, नि:स्वार्थ समाज सेवा के संस्कार, आचरण की सभ्यता के संस्कार तथा विश्व मानवता के संस्कार, सामाजिक समरसता के संस्कार आदि की स्थापना की है। अत: यह कहा जा सकता है कि साहित्य ही वह उपकरण है जो व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र को संस्कारवान बनाता है।

10. ''यातायात सुरक्षा''

विज्ञान के आधुनिक विकास, सड़कों के होते विस्तार तथा यातायात के बढ़ते साधनों ने मनुष्य के सामने एक नई प्रकार की चुनौती प्रस्तुत की है और वह चुनौती है–यातायत सुरक्षा। यातायात सुरक्षा से आशय सड़क पर चलते हुए प्रत्येक पैदल यात्री, वाहन चालक अथवा गंतव्य पर जाने वाले प्रत्येक यात्री की सुरक्षा। आजकल यातायात के साधनों के बढ़ते दबाव के साथ-साथ यातायात के साधनों के अत्यधिक उपयोग का आकर्षण भी बढ़ा है। इसी के साथ वाहन चालकों तथा पैदल यात्रियों के द्वारा यातायात के नियमों की अवहेलना करना भी असुरक्षा का महत्वपूर्ण कारण है।

प्राय: यह देखा जाता है कि घनी आबादी वाले छोटे-बड़े नगर महानगरों में दुपहिया तथा चौपहिया वाहनों की भारी भीड़ रहती है जिसमें बहुत से लोग ऐसे मिल जायेंगे जिनके पास वाहन चलाने का लाइसेंस भी नहीं होता। ऐसा होने पर उन्हें लाइसेंस प्रदाता एजेंसियों द्वारा दिया जाने वाला प्रशिक्षण तथा यातायात सुरक्षा के नियमों की जानकारी नहीं होती तथा वे सड़कों पर वाहन चलाते समय नियमों की अवहेलना करते हैं। जिसमें हेलमेट या सीट बेल्ट का प्रयोग न करना, गलत दिशा में वाहन चलाना, तेज गति से वाहन चलाना, बत्ती का ध्यान नहीं रखना, बिना लाइसेंस के वाहन चलाना, अवयस्क बच्चों द्वारा वाहन चलाना आदि शामिल हैं। परिणामस्वरूप आए दिन हमें दुर्घटनाओं के दृश्य दिखाई पड़ते हैं जिससे यात्री गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, गंभीर चोट लग जाती है तथा कभी-कभी तो चालकों या यात्रियों को जान से भी हाथ धोना पड़ता है। यह सर्वविदित है कि–'सावधानी हटी, दुर्घटना घटी।'

आज की आधुनिक दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है उसके पास अपना स्वयं का वाहन हो बल्कि उभरते हुए मध्यवर्गीय तथा उच्च मध्यवर्गीय परिवारों में तो एक ही घर में कई-कई वाहनों का प्रयोग किया जाने लगा है। यदि एक परिवार के लोग उचित अवसरों पर एक ही वाहन का उपयोग करने का दृष्टिकोण रखेंगे तो सड़कों पर यातायात का दबाव कम होगा तथा दुर्घटनाओं की संभावना भी कमतर होगी। इसी क्रम में वाहन चालकों को अपने वाहनों की समय-समय पर जाँच भी करानी चाहिए जिससे उनमें अचानक आने वाली खराबी से होने वाली दुर्घटनाएँ भी टाली जा सकें।

सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों की जानकारी तथा यातायात पुलिस द्वारा दी जाने वाली जागरूकता की हमें गंभीरता से अनुपालना करनी चाहिए। छोटे बच्चों को वाहन चलाने से बचाना चाहिए तथा **हेलमेट**, **शीशा** इत्यादि उपयोगी तथा गुणवत्ता पूर्ण होने चाहिए। सड़क पार करते समय लाल बत्ती आदि यातायात के संकेत चिह्नों का सावधानीपूर्वक ध्यान रखना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि यातायात के नियमों तथा सड़क सुरक्षा की जानकारी हमारे बच्चों को उनके पाठ्यक्रमों में जोड़कर देना उपयोगी हो सकता है। हमारी सरकारों को चाहिए कि ऊबड़-खाबड़ तथा गहरे गड्ढों वाली सड़कों का रखरखाव तथा निर्माण उचित

समय पर कराया जाना चाहिए।

11. ''महिला शिक्षा की ओर देश के बढ़ते कदम''

भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति आदर का भाव प्राचीन काल से ही रहा है। शिक्षा की भूमिका स्त्रियों को समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण रही है। आजादी के बाद से, विशेष रूप से पिछले दो-ढाई दशकों से केन्द्र सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे सतत् साक्षरता अभियान तथा 6 से 14 वर्ष के सभी बालक-बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा दिलाने की अनिवार्यता ने इसे और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। साथ ही प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

यदि हम देखें तो पायेंगे कि भारत के अतीत में विशेष रूप से वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को पुरुषों के समान ही शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त था। गार्गी, मैत्रेयी, लोपमुद्रा आदि कतिपय विदुषी नारियाँ स्त्री शिक्षा के सर्वोत्तम उदाहरण हैं जिनका उल्लेख प्राचीनतम साक्ष्यों में मिलता है। इसी क्रम में बौद्धकाल में भी स्त्रियों को संघ में प्रवेश लेने व शिक्षा प्राप्ति का अधिकार था। कालान्तर में अनेक विदेशी आक्रांताओं के आने से स्त्री सुरक्षा का प्रश्न स्त्री शिक्षा की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया तथा स्त्रियों पर बहुत से सामाजिक बंधन बढ़ने लगे। परिणामत: समाज में स्त्रियाँ हर क्षेत्र में पिछड़ गईं तथा समाज पुरुष प्रधान हो गया। जिससे शिक्षा की दृष्टि से स्त्रियों और पुरुषों में विषमता फैल गई। पर्दा प्रथा, सती-प्रथा, दास प्रथा आदि कुरीतियों ने स्त्रियों की स्थिति में गिरावट लाने का ही काम किया। आधुनिक काल में भारत में आये सामाजिक नवजागरण के साथ ही स्त्रियों की शिक्षा व्यवस्था का नया सूत्रपात हुआ तथा राजाराममोहन राय, स्वामी दयानन्द सरस्वती जैसे समाज सुधारकों की प्रेरणा से तथा साथ ही कुछ मिशनरियों द्वारा बालिका शिक्षा के लिए कुछ विद्यालय स्थापित किये। 1904 में श्रीमती ऐनीबेसेंट ने बनारस में केन्द्रीय हिन्दू बालिका विद्यालय की स्थापना की।

आजादी के बाद भारतीय संविधान में सभी जाति, धर्म, संप्रदाय के स्त्री-पुरुषों को समान रूप से शिक्षा प्रदान करने का अधिकार सभी नागरिकों को दिया गया तथा स्त्री शिक्षा के प्रसार के लिए राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति, राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद्, हंसा मेहता समिति आदि का गठन कर स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य हुआ। आज ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में समान रूप से बालिका शिक्षा का प्रतिशत उल्लेखनीय रूप से बढ़ रहा है। सार्वजनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे चिकित्सा, अभियांत्रिकी, तकनीक, विज्ञान, खेल, प्रबंधन, भूगर्भ विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, राजनीति तथा समाज सेवा के क्षेत्रों में अनेक शिक्षित महिलाओं ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए राष्ट्र के निर्माण में योगदान किया है। कहते हैं-एक पुरुष के शिक्षित होने पर केवल एक व्यक्ति शिक्षित होता है जबकि एक महिला के शिक्षित होने पर पूरा परिवार शिक्षित होता है। हमारी वर्तमान भारत सरकार ने भी बालिका शिक्षा को लेकर कई उपक्रम चलाए हैं तथा अनेक शिक्षण संस्थान स्त्रियों के लिए विशेष रूप से स्थापित किये गये हैं। आज शिक्षा के हर क्षेत्र में स्त्रियाँ पुरुषों से आगे निकल रही हैं।

अभ्यास प्रश्न

निम्नलिखित शीर्षकों पर निबन्ध लिखिए–

1. आधुनिक जीवन में समाचार-पत्र–

(i) समाचार–पत्र का परिचय

(ii) समाचार–पत्र की परिभाषा एवं प्रकार

(iii) समाचार–पत्रों का दैनिक जीवन में उपयोग

(iv) समाचार–पत्रों के विविध क्षेत्र

(v) उपसंहार

2. दीपावली–

(i) त्योहारों का जीवन में महत्त्व

(ii) भारत में त्योहार और उल्लास

(iii) दीपावली का अर्थ एवं ऐतिहासिक महत्त्व

(iv) दीपावली का धार्मिक, पौराणिक सामाजिक तथा आर्थिक महत्त्व

(v) दीपावली एक सांस्कृतिक पर्व

(vi) दीपावली मनाने में ध्यान रखने योग्य बातें

(vii) उपसंहार

3. दूरदर्शन : वरदान या अभिशाप–

(i) दूरदर्शन तथा दैनिक जीवन

(ii) दूरदर्शन का अर्थ तथा वर्तमान स्वरूप

(iii) दूरदर्शन का जीवन पर प्रभाव

(iv) दूरदर्शन पर कार्यक्रमों में विविध रूप

(v) दूरदर्शन के दुष्प्रभाव

(vi) दूरदर्शन द्वारा शिक्षा प्रसार

(vii) उपसंहार

4. मेरा प्रिय कवि–

(i) काव्य और समाज

(ii) कविता और प्रेरणा

(iii) प्रिय कवि दिनकर

(iv) उत्साह व क्रान्ति के विचार

(v) दिनकर की प्रमुख रचनाएँ

(vi) विश्व मानवता तथा समानता का भाव

(vii) उपसंहार

5. मेरी अविस्मरणीय यात्रा–

(i) यात्रा का जीवन में महत्त्व

(ii) यात्रा के समय ध्यान रखने योग्य बातें

(iii) यात्रा का स्थान तथा उसकी विशेषताएँ

(iv) यात्रा में घटित विशेष घटनाएँ

(v) यात्रा की उल्लेखनीय बातें

(vi) उपसंहार

6. मातृभाषा और उसका महत्त्व–

(i) मातृभाषा का अर्थ एवं परिभाषा

(ii) विश्व के विभिन्न देश व उनकी मातृभाषाएँ

(iii) शिक्षा का मातृभाषा से संबंध

(iv) रचनात्मक विकास में मातृभाषा का योगदान

(v) सांस्कृतिक विकास में मातृभाषा का महत्त्व

(vi) मातृभाषा तथा राष्ट्रभाषा

(vii) उपसंहार